# आउटकम बजट 2024—25

**विभाग का नामः— जनजाति कल्याण** **विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4**

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31—3—2024 कीसम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अनुसूचित जनजाति पूर्व दशम कक्षाओं (1 से 8 तक) छात्रवृत्ति | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 30.00 | — | — | 4508 (छात्र/छात्रा) | 6500 (छात्र/छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पूर्व दशम (कक्षा 09 व 10) छात्रवृत्ति योजना (90 प्रतिशत केन्द्रांश+ 10 प्रतिशत राज्यांश) | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 300.00 | — | 1278 (छात्र/छात्रा) | 1278 (छात्र/छात्रा) | 2600 (छात्र/छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 3 | अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (90 प्रतिशत केन्द्रांश + 10 प्रतिशत राज्यांश) | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 610.00 | — | 3766 (छात्र/छात्रा) | 3766 (छात्र/छात्रा) | 4450 (छात्र/छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 4 | राजकीय जनजाति छात्रावास | अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 257.81 | — | 197 (छात्र/छात्रा) | 250 (छात्र/छात्रा) | 250 (छात्र/छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 5 | राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 3283.91 | — | 2029 (छात्र/छात्रा) | 3055 (छात्र/छात्रा) | 3055 (छात्र/छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 6 | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन | अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 668.34 | — | 374 (प्रशिक्षणार्थी) | 396 (प्रशिक्षणार्थी) | 396 (प्रशिक्षणार्थी) | अनुसूचित जनजाति के युवाओं का तकनीकी शैक्षिक स्तर में मदद प्राप्त होने के कारण उनको बेहतर जीविका के अवसर प्राप्त होगें। | एक वर्ष |

विभाग का नामः— जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्‌देश्य | आउट ले / बजट | | 1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31—3—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन | अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा, भोजन, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना व उनका शैक्षिक उन्नयन | 180.24 | — | 812 (छात्र / छात्रा) | 961 (छात्र / छात्रा) | 1200 (छात्र / छात्रा) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 8 | निदेशालय जनजाति कल्याण का अधिष्ठान | निर्देशन तथा प्रशासन, बजट नियंत्रण,नियुक्तियां / पदोन्नतियां , समन्वय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | 297.16 | — | कुल 608 पद स्वीकृत | | निर्देशन तथा प्रशासन, बजट नियंत्रण,नियुक्तियां / पदोन्नतियां, समन्वय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन | अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास हेतु योजनाओं का गठन कर उनको मूलभूत सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 9 | एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का अधिष्ठान | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित कराना | 98.06 | — | 2 (अधिष्ठान) | 2 (अधिष्ठान) | 2 (अधिष्ठान) | अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास हेतु योजनाओं का गठन कर उनको मूलभूत सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 10 | जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना | अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना | 38.50 | — | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु नीतिगत दिशा निर्देश प्राप्त होगें। | एक वर्ष |
| 11 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान | अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास, उनकी विभिन्न समस्याओं पर सुझाव तथा उत्पीडन सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही | 93.86 | — | प्राप्त शिकायत —74<br>निस्तारित—12<br>प्रकरण—62 | | 01 पद अध्यक्ष<br>01 पद उपाध्यक्ष<br>08 पद सदस्य<br>01 पद सचिव<br>04 पद अन्य कार्मिक | अनुसूचित जनजाति के उत्पीडन सम्बन्धी मामलों की अपील,सुनवाई तथा निस्तारण | एक वर्ष |

विभाग का नामः– जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | संविधान के अनुच्छेद–275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता(100 प्रतिशत केन्द्रांश) | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 800.00 | – | – | 1000 (लाभार्थी) | 1000 (लाभार्थी) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार होगा | एक वर्ष |
| 13 | आदिम जनजाति के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | बुक्सा एवं राजी जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 400.00 | – | 8 (लाभार्थी) | 1000 (लाभार्थी) | 1000 (लाभार्थी) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार होगा | एक वर्ष |
| 14 | जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना(100 प्रतिशत केन्द्रांश) | जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 800.00 | – | – | 5000 (लाभार्थी) | 5000 (लाभार्थी) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार होगा | एक वर्ष |
| 15 | जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन(100 प्रतिशत केन्द्रांश) | जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन | 800.00 | – | 2(योजनाएं) | 25 (योजनाएं) | 25 (योजनाएं) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए उनकी कला एवं पारम्परिक संस्कृति को बचाये रखना | एक वर्ष |

**विभाग का नामः– जनजाति कल्याण** **विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4**

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | अनुसूचित जनजातियों की पुत्री की शादी हेतु योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पुत्रियों की शादी आर्थिक हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 600.00 | – | 1097 (लाभार्थी) | 1200(लाभार्थी) | 1200 (लाभार्थी) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार होगा | एक वर्ष |
| 17 | जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय का संचालन | जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना एवं उन पर शोध कार्य व विभिन्न योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन व सर्वेक्षण करना | 113.03 | – | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | 1 (अधिष्ठान) | अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास हेतु योजनाओं का गठन कर उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना | एक वर्ष |
| 18 | अनुसूचित जनजाति के लिए अटल आवास योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना | 300.00 | – | – | 330 (लाभार्थी) | 492(लाभार्थी) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 19 | इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना | अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराना | 0.01 | – | – | – | – | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 20 | सहायता प्राप्त पुस्त./प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक उन्नयन | 1100.00 | – | 26 (विद्यालय संख्या) | 26 (विद्यालय संख्या) | 26 (विद्यालय संख्या) | अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |

**विभाग का नामः– जनजाति कल्याण** **विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4**

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवा हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोंचिग की निःशुल्क व्यवस्था किया जाना | 70.00 | – | 219 (लाभार्थी) | 500 (लाभार्थी) | 500 (लाभार्थी) | अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग को शासकीय सेवाओं की बेहतर तैयारी हेतु बेहतर सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 22 | अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाऐं | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन | 40.00 | – | 1 (योजना) | 1 (योजना) | 1 (योजना) | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में वृद्धि होगी। | एक वर्ष |
| 23 | बुक्सा और राजी जनजाति का विकास योजना | बुक्सा एवं राजी जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को पृथक से संचालित किए जाने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना | 30.00 | – | 482 (छात्र/छात्रा) | 543 (छात्र/छात्रा) | 560 (छात्र/छात्रा) | बुक्सा और राजी जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 24 | बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष योजना | प्रदेश में निवासरत बुक्सा जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 0.01 | – | – | – | – | बुक्सा जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |
| 25 | थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना | प्रदेश में निवासरत थारू जनजातियों के युवक व युवतियों की तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना | 0.01 | – | – | – | – | थारू जनजाति के शैक्षिक स्तर में सुधार परिलक्षित होगा। | एक वर्ष |

**विभाग का नामः– जनजाति कल्याण** **विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4**

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना | अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना | 80.00 | – | 68 (लाभार्थी) | 100 (लाभार्थी) | 130 (लाभार्थी) | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु स्वरोजगार के लिए अनुदान उपलब्ध करना जिससे कि वे अपना स्वरोजगार कर सके व उनको जीविका का साधन प्राप्त होगा | एक वर्ष |
| 27 | शिल्पी ग्राम योजना | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके प्रचलित शिल्प को पुनजीर्वित एवं विकसित करने हेतु विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं उन्हें स्व रोजगार हेतु उत्साहित करना | 0.01 | – | – | – | – | अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपने शिल्प कला में वृद्धि किये जाने हेतु मदद प्रापत होगी, जिससे कि वे अपना स्वरोजगार कर पायेगे व उनको जीविका का साधन प्राप्त होगा | एक वर्ष |
| 28 | योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय व्यय (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमैंट यूनिट का गठन करना। | 120.00 | – | – | 1(पीएमयू) | 1(पीएमयू) | विभागान्तर्गत संचालित केन्द्रपोषित योजनाओं का बेहतर प्रकार से क्रियान्वयन किये जाने में मदद प्राप्त होगी। | एक वर्ष |

विभाग का नामः— जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराषि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले / बजट | | 1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31—3—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फंड | विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमता विकास कार्यक्रम,राज्य के अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना | 100.00 | — | — | 1 (योजना) | 1 (योजना) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए उनकी कला एवं पारम्परिक संस्कृति को बचाये रखना | एक वर्ष |
| 30 | जनजातीय युवा खेल महोत्सव | अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना | 50.00 | — | — | 1 (योजना) | 1 (योजना) | अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना जिससे उन्हे खेल हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त होगें। | एक वर्ष |
| 31 | जनजाति महोत्सव का आयोजन | राज्य की पाचों अनुसूचित जनजातियों के लोक कलाकारों तथा सांस्कृतिक दलों को अपनी कला का अवसर प्रदान करना तथा अनुसूचित जनजाति के हस्त शिल्पियों हेतु क्राफ्ट मेला आयोजित करना | 100.00 | — | — | 1 (योजना) | 1 (योजना) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए उनकी कला एवं पारम्परिक संस्कृति को बचाये रखना | एक वर्ष |

विभाग का नामः— जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31—3—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (critical gap)आदि की योजनाओं का निर्माण किया जाना | — | 2000.00 | 10 (योजनाएं) | 278 (योजनाएं) | 400 (योजनाएं) | अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाऐं विकसित होगी जिसे वहां निवासरत समस्त क्षेत्र वासियों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 33 | जनजाति स्वरोजगार अंश पूंजी—निगम | अनुसूचित जनजाति के परिवारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाली योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जाना | — | 0.01 | — | — | 1 (अधिष्ठान) | अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास हेतु योजनाओं का गठन कर उनको मूलभूत सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 34 | राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, बिन्सौण, देहरादून का भवन निर्माण | अनुसूचित जनजाति के बालकों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण | — | 0.01 | — | — | — | विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी | एक वर्ष |
| 35 | राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 150.00 | — | 4 (छात्रावास संख्या) | 4 (छात्रावास संख्या) | छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी | एक वर्ष |

विभाग का नामः— जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1—4—2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31—3—2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024—25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024—25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 300.00 | — | 16 (विद्यालय संख्या) | 16 (विद्यालय संख्या) | विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी | एक वर्ष |
| 37 | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण | विभागान्तर्गत संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना | — | 150.00 | — | 3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या) | 3 (राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संख्या) | विभागीय संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणर्थी को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी | एक वर्ष |
| 38 | निदेशालय जनजाति कल्याण भवन निर्माण | निदेशालय जनजाति कल्याण भवन का विस्तारीकरण करना | — | 0.01 | — | 1 (भवन संख्या) | — | विभागीय कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी | एक वर्ष |
| 39 | टी.आर.आई. को सहयोग (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण करना। | — | 100.00 | — | 2 (योजनाएं) | 1 (योजना) | राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए उनकी कला एवं पारम्परिक संस्कृति को बचाये रखना | एक वर्ष |

विभाग का नामः– जनजाति कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी. 4

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | आउट ले/बजट | | 1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक) | 31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25 | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25 | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व | पूंजीगत | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास करना। | – | 250.00 | – | 1 (योजना) | 1 (योजना) | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (बुक्सा व राजी) बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाऐं विकसित होगी जिससे वहां निवासरत समस्त क्षेत्र वासियों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी। | एक वर्ष |
| 41 | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना (पीएम जनमन) (100 प्रतिशत केन्द्रांश) | बुक्सा एवं राजी जनजाति बाहुल्य ग्रामों में बहुउदेशीय केन्द्रों का निर्माण करना। | – | 1562.37 | – | – | 25 (बहुउदेशीय केन्द्र ) | बुक्सा व राजी जनजाति बाहुल्य ग्रामों में बहुउदेशीय केन्द्रों का निर्माण करना जिससे वहां निवासरत बुक्सा व राजी जनजाति हेतु ए.एन.एम/स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनवाडी केन्द्र की सुविधाऐं एक ही छत के नीचे प्राप्त हो सकेगी। | एक वर्ष |

## सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

| क्र.सं. | SDG संकेतक | 1.4.2023 की वास्ताविक स्थिति (भौतिक) | 31.03.2024 सम्भावित स्थिति (भौतिक) | परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25 | परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कक्षा 01 से 10 तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पंजीकृत छात्र/छात्रा संख्या | 2029 | 3055 | 3055 | 3055 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से दशमोत्तर तक) योजना में लाभार्थी संख्या | 5044 | 9552 | 12548 | 12548 |
| 3 | विभागीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी संख्या | 374 | 396 | 396 | 396 |

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजना का आरम्भ जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर, 2023) के अवसर पर किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजनान्तर्गत राज्य के 07 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, पौडी गढवाल, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ, नैनीताल व चम्पावत) के 211 ग्रामों का चयन किया गया है, उक्त चयनित ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पक्के मकान, विद्युतीकरण, पाइप से जलापूर्ति/सामुदायिक जल आपूर्ति, सम्पर्क मार्ग, छात्रावासों का निर्माण, आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण, बहुउदेशीय केन्द्रों का निर्माण, वनधन विकास केन्द्र की स्थापना व मोबाईल टावरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) के उक्त चयनित 211 ग्रामों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाऐं विकसित होगी एवं वहां पर निवासरत समस्त क्षेत्र वासियों को बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाऐं प्राप्त होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजनान्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम बैंतखेडी, विजयरम्पुरा, बन्नाखेडा, जनपद पिथौरागढ के ग्राम जमताडी, अल्ताडी, मदनुपरी, गैनागांव, किमखोला व जनपद हरिद्वार के ग्राम ढडियावाला में एक–एक बहुउदेशीय केन्द्र (₹ 60.00 लाख प्रति की दर से) के निर्माण हेतु कुल ₹535.46 लाख (₹ पांच करोड पैंतीस लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल ₹62.37 लाख (₹ बासठ

लाख सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की है एवं योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु ₹1562.37 लाख (₹ पन्द्रह करोड बासठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

राज्य में निवासरत 05 अनुसूचित जनजातियां (जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू व राजी) की कला व सांस्कृतिक पराम्परों को संरक्षित रखे जाने हेतु भगवान बिरसा मुण्डा जी की जंयती के अवसर पर परेड ग्राउंड, देहरादून में दिनांक 15 से 17 नवम्बर, 2023 तक आदि गौरव महोत्सव मनाया गया एवं दिनांक 03 से 06 अक्टूबर, 2023 तक चतुर्थ ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक मेला महाराणा प्रताप खेल कालेज, देहरादून में आयोजित किया गया, जिससे राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए उनकी कला एवं पारम्परिक संस्कृति को बचाये रखने में मदद मिलेगी एवं राज्य के पर्यटन को बढावा मिलेगा एवं राज्य की आर्थिकी स्थिति को गति प्राप्त होगी।